

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड (II) में प्रकाशनामे)

संख्या 13017/46/2005-अ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 29 जुलाई, 2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागालैंड सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार श्री म्हाथुंग किथन, झा.प्र.से. (हरियाणा:86) की हरियाणा से नागालैंड संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को 16.05.2011 से आगे दो वर्ष और आठ महीने की अवधि के लिए अर्थात् जनवरी, 2014 में उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक बढ़ाने हेतु एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।



(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)